

भाग ३

श्री ५ को सरकारद्वारा प्रकाशित

खण्ड २४] काठमाडौं, वैशाख २३ गते २०३१ साल [संख्या ४

श्री ५ को सरकार

निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको

सूचना

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०१८ को दफा ७ को उप-दफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले तुम्लिङटार विमानस्थलमा स्टाफ क्वार्टर, प्रहरी आवास गृह लगायत विभिन्न निर्माण कार्यको लागि कोशी अञ्चल, संखुवासभा जिल्ला, तुम्लिङटार गाउँ पञ्चायत वडा नं. ३ को निम्नलिखित जग्गा थप प्राप्त गर्ने निर्णय गरेकोले सम्बन्धित जग्गाधनीले जग्गाको मोल र अरु नोक्सानी बापत यस ऐन र जग्गा प्राप्ति नियमहरू, २०२६ बमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हुँदा यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ ।

[illegible]

नेपाल राजपत्र भाग ३

पूर्व रन्वेको फेन्सोड लाइन सिमाना साँध, पश्चिम सिँदूरे डिल साँध, उत्तर अडिमान कुमालको जग्गा साँध, दक्षिण सिँदूरे डिलकै जग्गाको साँध यति चार किल्लाभित्र पर्ने कि.नं. ३१ को ३-४-० पूरा, कि. नं. ३२ को २-७-० पूरा, कि.नं. ३४ को १८-१-० पूरा समेतको मालपोत रु. १।७० (एक रुपैयाँ सत्तरी पैसा) लाग्ने जम्मा जग्गा रोपनी २३-१२-० (तेईस रोपनी बाह्र आना) को जग्गा कित्ता - - - - - १

श्रृङ्गाले-

सहायक रथी खड्गबहादुर सिंह
श्री ५ को सरकारको का.म. सचिव

किष्किन्धव नागवनात् तत्र शशिनी

॥ १ ॥
 ॥ २ ॥
 ॥ ३ ॥
 ॥ ४ ॥
 ॥ ५ ॥
 ॥ ६ ॥
 ॥ ७ ॥
 ॥ ८ ॥
 ॥ ९ ॥
 ॥ १० ॥
 ॥ ११ ॥
 ॥ १२ ॥
 ॥ १३ ॥
 ॥ १४ ॥
 ॥ १५ ॥
 ॥ १६ ॥
 ॥ १७ ॥
 ॥ १८ ॥
 ॥ १९ ॥
 ॥ २० ॥
 ॥ २१ ॥
 ॥ २२ ॥
 ॥ २३ ॥
 ॥ २४ ॥
 ॥ २५ ॥
 ॥ २६ ॥
 ॥ २७ ॥
 ॥ २८ ॥
 ॥ २९ ॥
 ॥ ३० ॥
 ॥ ३१ ॥
 ॥ ३२ ॥
 ॥ ३३ ॥
 ॥ ३४ ॥
 ॥ ३५ ॥
 ॥ ३६ ॥
 ॥ ३७ ॥
 ॥ ३८ ॥
 ॥ ३९ ॥
 ॥ ४० ॥
 ॥ ४१ ॥
 ॥ ४२ ॥
 ॥ ४३ ॥
 ॥ ४४ ॥
 ॥ ४५ ॥
 ॥ ४६ ॥
 ॥ ४७ ॥
 ॥ ४८ ॥
 ॥ ४९ ॥
 ॥ ५० ॥
 ॥ ५१ ॥
 ॥ ५२ ॥
 ॥ ५३ ॥
 ॥ ५४ ॥
 ॥ ५५ ॥
 ॥ ५६ ॥
 ॥ ५७ ॥
 ॥ ५८ ॥
 ॥ ५९ ॥
 ॥ ६० ॥
 ॥ ६१ ॥
 ॥ ६२ ॥
 ॥ ६३ ॥
 ॥ ६४ ॥
 ॥ ६५ ॥
 ॥ ६६ ॥
 ॥ ६७ ॥
 ॥ ६८ ॥
 ॥ ६९ ॥
 ॥ ७० ॥
 ॥ ७१ ॥
 ॥ ७२ ॥
 ॥ ७३ ॥
 ॥ ७४ ॥
 ॥ ७५ ॥
 ॥ ७६ ॥
 ॥ ७७ ॥
 ॥ ७८ ॥
 ॥ ७९ ॥
 ॥ ८० ॥
 ॥ ८१ ॥
 ॥ ८२ ॥
 ॥ ८३ ॥
 ॥ ८४ ॥
 ॥ ८५ ॥
 ॥ ८६ ॥
 ॥ ८७ ॥
 ॥ ८८ ॥
 ॥ ८९ ॥
 ॥ ९० ॥
 ॥ ९१ ॥
 ॥ ९२ ॥
 ॥ ९३ ॥
 ॥ ९४ ॥
 ॥ ९५ ॥
 ॥ ९६ ॥
 ॥ ९७ ॥
 ॥ ९८ ॥
 ॥ ९९ ॥
 ॥ १०० ॥

[illegible]

आधिकारिकता मुद्रण विभागबाट प्रमाणित गरिएपछि मात्र लागु हुनेछ।